

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर से पूर्व विचार-विमर्श के उपरान्त रविवार एवं अवकाश काल में रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में दिनांक 25.4.2025 को प्रत्येक माह में रविवार एवं समस्त अवकाश काल में मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित करने का आदेश पारित किया गया था। माह नवम्बर 2025 में सुश्री स्वेता त्रिपाठी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन में सुश्री स्वेता त्रिपाठी जी का स्थानान्तरण न्यायालय सिविल जज जू0डि0, मुजफ्फरनगर में हो जाने के कारण माह नवम्बर 2025 में रिमाण्ड ड्यूटी एवं वीडियोकोन्फेस का कार्य श्रीमति कंचन कुमारी, अपर सिविल जज जू0डि0, कोर्ट संख्या-3/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा। तदनुसार सम्बन्धित सूचित हो।

(श्रीमति कविता अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि:—

- 1—माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
- 2—सम्बन्धित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 3—संयुक्त निदेशक अभियोजन मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
- 4—अध्यक्ष/सचिव जिला बार संघ, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
- 5—अध्यक्ष/सचिव बार संघ, बुढाना को सूचनार्थ।
- 6—अध्यक्ष/सचिव बार संघ, जानसठ को सूचनार्थ।
- 7—कम्प्यूटर अनुभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

09/10/2025
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।